(30)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1428–एक/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–3–15 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 370/अपील/13–14.

———

कामनी जैन पत्नि श्री आशीष कुमार जैन
निवासी ग्राम सिहोरा कृषक ग्राम भौरासा
तहसील कुरवाई ——— आवेदक

विरूद्ध

1– फारूख खां आ. शरीफ खान,
निवासी वार्ड कमांक 7, कुरवाई जिला विदिशा
2– म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील कुरवाई जिला विदिशा ——— अनावेदकगण

———

श्री अनुपम शुक्ला एवं श्री प्रियंक उपाध्याय, अधिवक्ता, आवेदक.
श्री नीरज श्रीवास्तव, अधिवक्ता, अनावेदक कमांक –1.

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 3 मई, 2016 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण कमांक 370/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 11–3–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष ग्राम भोरासा की भूमि सर्वे नं. 951/3 रकबा 0.209 हैक्टर पर पैट्रोल पंप खोलने हेतु डायवर्सन चाहा गया । बाद में पेट्रोल पंप के स्थान पर संशोधन कर व्यवसायिक उपयोग जोड़ा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रथमबार आदेश दिनांक 21–2–13 द्वारा आवेदन निरस्त किया गया । कलेक्टर, विदिशा द्वारा सामान्य निरीक्षण के दौरान प्रकरण के परीक्षण में विसंगतियां पाए जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी को

अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत संहिता की धारा 51 के तहत पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त कर पुनः प्रकरण का निराकरण कर आवेदित भूमि का डायवर्सन स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा कलेक्टर न्यायालय में अपील पेश की गई जिसमें अपर कलेक्टर ने उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 12–3–14 द्वारा अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त कर दिया । अपर कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 द्वारा लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण प्रश्नाधीन भूमि के डायवर्सन का है । आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर डायवर्सन चाहा गया जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों से प्रतिवेदन बुलाया गया तथा तहसीलदार से नियमानुसार जांच प्रतिवेदन बुलाया गया, तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 28–1–2013 द्वारा आवेदिका के पक्ष में व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की गई । अनावेदक कमांक 1 द्वारा आपत्ति पर नियमानुसार विचार करने के उपरांत उक्त आपत्ति को निरस्त किया गया है । प्रकरण में संबंधित विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिमत के उपरांत विभिन्न शर्तों के साथ आवेदिका के स्वत्व एवं स्वामित्व की उपरोक्त भूमि का व्यपवर्तन करने के आदेश दिए हैं । अपर कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा कर तकनीकि आधार पर आदेश पारित किये गये हैं । अपर कलेक्टर का यह कहना कि अनुविभागीय अधिकारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा तक सुविधा को ध्यान में नहीं रखा गया है तथा लोक न्यूसेन्स की संभावना पर अपना निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है भी मानने योग्य नहीं है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संबंधित विभागों द्वारा की अनुशंसा के आधार पर व्यपवर्तन का आदेश पारित किया है । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि पैट्रोल पंप लगाए जाने के लिए सभी आावश्यक मापदंडों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है और

यदि आवेदिका द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं किया जावेगा तो उसे स्वमेव ही पेट्रोल पंप लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि पैट्रोल पंप लगाए जाने के लिए सभी आावश्यक मापदंडों एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है और यदि आवेदिका द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन नहीं किया जावेगा तो उसे स्वमेव ही पेट्रोल पंप लगाये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में प्रकियात्मक त्रुटियां होने की बात भी कही है परंतु कौनसी प्रकियात्मक त्रुटि है, इसका उल्लेख नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत एवं विधिसंगत नहीं है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों को अनदेखा कर अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटि की है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–3–15 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–14 निरस्त किए जाते हैं एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–6–13 स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर